

462  
16/11/18

झारखण्ड सरकार,  
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

:: संकल्प ::

कृपया पढ़ें :-

1. पुलिस निरीक्षक-सह-अनुसंधानकर्ता, निगरानी ब्यूरो, राँची का पत्रांक-7034, दिनांक 27.06.2014
2. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची का पत्रांक-9002, दिनांक 08.09.2014, संकल्प सं0-1108, दिनांक 10.02.2015, संकल्प सं0-3928, दिनांक 29.04.2015, पत्रांक-1769, दिनांक-26.02.2016 एवं संकल्प सं0-9689, दिनांक 11.09.2017
3. उपायुक्त, हजारीबाग का पत्रांक-957/स्था0, दिनांक 15.10.2014
4. विभागीय जाँच पदाधिकारी-सह-संचालन पदाधिकारी का पत्रांक-274/2015, दिनांक 30.11.2015
5. सचिव, झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची का पत्रांक-1892, दिनांक 23.08.2017

श्री उमाशंकर प्रसाद, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक-588/03, गृह जिला-गुमला), के जिला परिवहन पदाधिकारी, हजारीबाग के पद पर कार्यावधि से संबंधित उपायुक्त, हजारीबाग के पत्रांक-957/स्था0, दिनांक 15.10.2014 से प्राप्त प्रपत्र-'क' एवं निगरानी ब्यूरो द्वारा निगरानी थाना कांड सं0-22/2011, दिनांक 17.08.2011 (विशेष वाद सं0-30/11ए) से संबंधित उपलब्ध कराये गये अभिलेख के आधार पर आरोपों को विभागीय स्तर से प्रपत्र-'क' में पुनर्गठित किया गया, जो निम्नवत् है-

आरोप सं0-1- श्री उमाशंकर प्रसाद, तत्कालीन जिला परिवहन पदाधिकारी, हजारीबाग द्वारा अपने पद का दुरुपयोग करते हुए ड्राइविंग लाईसेंस, स्मार्ट कार्ड, वाहन रजिस्ट्रेशन एवं वाहन टैक्स इत्यादि में सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क से अधिक राशि वसूलने में जिला परिवहन कार्यालय, हजारीबाग के कर्मियों को सहयोग किया गया एवं कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टचार में संलिप्त रहे, जो सरकारी सेवक आचार नियमावली के प्रतिकूल है।

आरोप सं0-2- निगरानी थाना कांड सं0-20/11 (विशेष वाद सं0-30/11(ए0)) दिनांक 17.08.2011 में श्री उमा शंकर प्रसाद, तत्कालीन जिला परिवहन पदाधिकारी, हजारीबाग के विरुद्ध न्यायालय द्वारा निर्गत गिरफ्तारी वारंट से बचने के लिए वे अपने वर्तमान पदस्थापन स्थान उप विकास आयुक्त, गढ़वा से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहे हैं, जो सरकारी सेवक आचार नियमावली के प्रतिकूल है।

20

2. उक्त आरोपों हेतु विभागीय संकल्प सं०-1108, दिनांक 10.02.2015 एवं अनुवर्ती संकल्प संख्या-3928, दिनांक 29.04.2015 द्वारा इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गई। संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-274/2015, दिनांक 30.11.2015 द्वारा विभागीय कार्यवाही का जाँच-प्रतिवेदन समर्पित किया।

3. श्री प्रसाद के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप, विभागीय कार्यवाही के दौरान इनके द्वारा समर्पित बचाव बयान तथा विभागीय जाँच पदाधिकारी के मंतव्य की समीक्षा की गयी। समीक्षा में पाया गया कि आरोपित पदाधिकारी के जिला परिवहन पदाधिकारी के कार्यकाल में भ्रष्टाचार व्याप्त था। दलालों के द्वारा ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने एवं वाहन के निबंधन कार्य में निर्धारित शुल्क से अधिक पैसा लिया जाता था तथा अवैध रूप से अधिक वसूली की गयी राशि का बँटवारा जिला परिवहन पदाधिकारी, मोटरयान निरीक्षक एवं जिला परिवहन कार्यालय के कर्मियों के बीच होता था।

4. उक्त प्रमाणित आरोपों हेतु श्री प्रसाद को गुरुत्तर दण्ड अर्थात् नीचे के पद पर पदावनति का दण्ड अधिरोपित किये जाने के संबंध में विभागीय पत्रांक-1769, दिनांक-26.02.2016 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा की गयी। श्री प्रसाद के पत्र, दिनांक-02.03.2016 द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा के आलोक में मामले की समीक्षा की गयी। समीक्षा में पाया गया कि इन्होंने द्वितीय कारण पृच्छा में मुख्यतः उन्हीं तथ्यों को दुहराया है, जो विभागीय कार्यवाही के दौरान बचाव बयान के रूप में विभागीय जाँच पदाधिकारी के समक्ष समर्पित किया था। इनके द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा में ऐसा कुछ भी नया तथ्य या साक्ष्य समर्पित नहीं किया गया है, जिससे कि प्रमाणित आरोप को खंडित किया जा सके।

5. समीक्षोपरांत, श्री प्रसाद द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा को अस्वीकार करते हुए झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14 (viii) के तहत विभागीय संकल्प सं०-9689, दिनांक 11.09.2017 द्वारा श्री प्रसाद पर पदावनति का दंड अधिरोपित किया गया है।

6. उक्त दण्ड के विरुद्ध श्री प्रसाद द्वारा पुनर्विचार याचिका, दिनांक 15.12.2017 समर्पित किया गया, जिसकी समीक्षा की गयी। समीक्षा में पाया गया कि श्री प्रसाद द्वारा पुनः उन्हीं तथ्यों को दुहराया है, जो विभागीय कार्यवाही के दौरान बचाव बयान में तथा द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब में कहे गये थे। इन्होंने कोई नया तथ्य नहीं दिया है।

7. समीक्षोपरांत, इनके पुनर्विचार याचिका को अस्वीकृत किया जाता है।

62

8. उक्त प्रस्ताव पर माननीय मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

**आदेश :-** आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्री उमाशंकर प्रसाद, झा0प्र0से0 एवं अन्य संबंधित को दी जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

*hgm*  
15.01.18  
(सूर्य प्रकाश)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-5/आरोप-1-779/2014 का०- ...462.../राँची, दिनांक ...16/1/18-

प्रतिलिपि- नोडल पदाधिकारी, ई-गजट, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची/राज्यपाल, झारखण्ड के प्रधान सचिव/मुख्यमंत्री, झारखण्ड के प्रधान सचिव/मुख्य सचिव कोषांग, झारखण्ड, राँची/विभागीय प्रधान सचिव कोषांग/सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/प्रमंडलीय आयुक्त, उ०छो० प्रमंडल, हजारीबाग/उपायुक्त, हजारीबाग/उपायुक्त, पलामू/सचिव, झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची/उप सचिव, वित्त (वै०दा०नि० कोषांग) विभाग, झारखण्ड, राँची/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, पलामू/श्री उमाशंकर प्रसाद, सहायक निदेशक, पंचायती राज प्रभाग, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची/विभागीय अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा-3 एवं 4/विभागीय अवर सचिव, प्रशाखा-6/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-5 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

*hgm*  
15.01.18  
सरकार के संयुक्त सचिव।